न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–विदिशा

जय सिंह पुत्र श्री फूलसिंह कृषक
ग्राम ख्वाजा खेडी
निवासी – मुडरी तहसील बीना
जिला – सागर (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

विजय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
निवासी – मुडरी तहसील बीना
जिला – सागर (म.प्र.)
.....अनावेदक

न्यायालय कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 कुरवाई 2 पठारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम ख्वाजा खेडी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 75/1 रकवा 2.633 है0 के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 79/अ–12/2016–17 पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना दिये बिना जो कार्यवाही सीमांकन के संबंध में की गयी है वह विधिवत् नहीं है। अतः ऐसे अवैध सीमांकन दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध आवेदक द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यो के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(162)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1977

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	